सामग्री	पृष्ठ सं.
भाग 1	
प्रारंभिक	
संक्षिप्त शीर्षक, विस्तार और प्रारंभ	
परिभाषाएं	
भाग II	
मुद्रण, प्रेस और प्रकाशन	
मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना	
मुद्रक द्वारा वार्षिक विवरण दर्ज करना	
भाग III	
प्रधिकारी	
प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति	
भाग IV	
पत्रिकाओं का पंजीकरण	
पत्रिकाओं का पंजीकरण	
पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन	
पत्रिका के स्वामित्व का हस्तांतरण	
पत्रिका का बंद होना	
पत्रिका को पुन: शुरू करना	
पंजीकरण रद्द करना या निलंबित करना	
प्रकाशक द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला वार्षिक विवरण आदि	
वार्षिक रिपोर्ट	

भाग V
शास्तियां
अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप नहीं होने पर पत्रिका के मुद्रण अथवा प्रकाशन के लिए शास्ति
मुद्रणालय से संबंधित उपबंधों का पालन न करने के लिए शास्ति
भाग VI
अपील
भाग VII
सरकारी विज्ञापन और प्रत्यायन
भाग VIII
डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों का पंजीकरण
भाग ।X
विविध
केंद्र सरकार की शक्तियां
प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारी का लोक सेवक होना
सदाशय से की गई कार्रवाई का संरक्षण
केंद्र सरकार की नियम बनाने की शक्ति
कठिनाईयों को दूर करने की शक्ति
निरसन और व्यावृत्ति

मसौदा आरपीपी विधेयक, 2019

प्रेस और पत्रिका पंजीकरण विधेयक, 2019

`क`

विधेयक

मुद्रण प्रेस और पत्रिकाओं के पंजीकरण और विनियमन तथा उससे जुड़े, मामलों के लिए एक अधिनियम

इसे भारत गणराज्य के सत्तरवें वर्ष में संसद द्वारा अधिनियमित किया जाएगा जो निम्नानुसार है:-

भाग-I

प्रारंभिक

- 1. (1) इस अधिनियम को प्रेस और पत्रिका पंजीकरण अधिनियम, 2019 कहा जाएगा।
 - (2) यह सम्पूर्ण भारत में लागू होगा
- (3) यह उस तिथि को लागू होगा जो केन्द्रीय सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्धारित करे।
- 2. इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, -
- (क) "समुचित सरकार" का तात्पर्य केन्द्रीय सरकार अथवा राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र से है जिनके अपने विधानमंडल हैं।
- (ख) "प्राधिकृत व्यक्ति" का तात्पर्य प्रेस महापंजीयक के अधीनस्थ और प्रेस महापंजीयक द्वारा समय-समय पर जैसी भी स्थिति हो विभिन्न कार्यों का निर्वहन करने के लिए उनके प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए लिखित में प्राधिकृत एक राजपत्रित अधिकारी से हैं:
- (ग) किसी पत्रिका के "संपादक" से तात्पर्य एक व्यक्ति से है, जो संपादक, मुख्य संपादक, समूह संपादक अथवा प्रधान संपादक या किसी अन्य नाम से जाना जाए, जो भारत का एक

नागरिक है और वह आमतौर पर भारत का निवासी है जो किसी पत्रिका की सामग्री का चयन करने और उसे अंतिम रूप देने हेत् जिम्मेवार हो;

- (घ) किसी प्रकाशन के "प्रतिकृति संस्करण" से तात्पर्य जहां तक सामग्री का संबंध है, किसी विदेशी प्रकाशन के पूर्णत: या अंशत: मूल संस्करण की सटीक प्रतिकृति से है, इस शर्त के अध्यधीन कि कोई भी पृष्ठ किसी अंश रूप में प्रकाशित न किया जाए;
- (ङ) "वित्तीय वर्ष" से तात्पर्य वर्ष के 01 अप्रैल से आरंभ होने वाले और अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले वर्ष से है;
- (च) "विदेशी पत्रिका" से तात्पर्य भारत से बाहर किसी देश में प्रकाशित और मुद्रित किसी भी पत्रिका से है;
- (छ) "जर्नल" से तात्पर्य मैगजीन को छोड़कर किसी पत्रिका के प्रकाशन से है, जिसमें किसी विषय विशेष से अथवा पेशेवर क्रियाकलाप से संबंधित सामग्री मुद्रित की जाती है;
- (ज) "कीपर" से तात्यर्य किसी मुद्रण प्रेस के दिन प्रतिदिन के कार्यों का संचालन करने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति से है यदि प्रेस का स्वामी गैर व्यक्तिगत निकाय है;
- (झ) "मैगजीन" से तात्पर्य जर्नल को छोड़कर लोक समाचार अथवा लोक समाचार पर टिप्पणियों सहित, आम विषयों पर टिप्पणियां अथवा आलेख वाले किसी पत्रिका के प्रकाशन से है;
- (ञ) "नये संस्करण" से तात्पर्य सामग्री अथवा भाषा या अविध में परिवर्तन के साथ मौजूदा समाचार पत्र के अन्य संस्करण से है;
- (ट) "डिजिटल मीडिया पर समाचार" डिजिटल फार्मेट में समाचार है जिसे इंटरनेट, कम्प्यूटर अथवा मोबाइल नेटवर्कों से प्रसारित किया जा सकता है और जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं;
- (ठ) "समाचार पत्र" से तात्पर्य सामान्तया तह लगे खुले पृष्ठों वाले आवधिक समाचार-पत्र से है और जिसे समसामयिक घटनाओं पर सूचना जन समाचारों अथवा जन समाचारों पर टिप्पणियों वाला प्रतिदिन अथवा सप्ताह में एक बार प्रकाशित समाचार-पत्र से है;

- (ड) किसी प्रकाशन के "स्वामी" से तात्पर्य किसी प्रकाशन के स्वामित्व वाले किसी व्यक्ति, फर्म अथवा किसी कानूनी निकाय से है;
- (ढ) "पत्रिका" से तात्पर्य समाचार-पत्र सिहत किसी भी प्रकाशन से है जिसे नियमित अतंरालों में प्रकाशित और मुद्रित किया जाता है और जिसमें सामान्य अथवा विशिष्ट विषयों पर आलेख शामिल होते हैं;
- (ण) "निर्धारित" से तात्पर्य इस अधिनियम के तहत बनाये गये नियमों से है;
- (त) "म्द्रक" से तात्पर्य म्द्रणालय के स्वामी से है;
- (थ) "प्रेस महापंजीयक" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा नियुक्त भारत के प्रेस महापंजीयक से है।
- (द) "मुद्रण" से तात्पर्य प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करके किसी पत्रिका के मुद्रण से है जिसमें किसी भी बड़े पैमाने पर प्रतियां निकाली जाएं परंत् इसमें फोटोकॉपी करना शामिल नहीं है।
- (ध) "प्रकाशन" से तात्पर्य कोई वस्तु जो कागज पर मुद्रित की जाती है और पत्रिकाओं, समाचार-पत्रों एवं प्स्तकों सहित सार्वजनिक वितरण के लिए है;
- (न) "प्रकाशित करना" से तात्पर्य प्रतिलिपियां जारी करने के रूप में जनता को उपलब्ध कराने की प्रक्रिया से है;
- (प) "प्रकाशक" से तात्पर्य किसी प्रकाशन को प्रकाशित करने के लिए इस संबंध में प्राधिकृत व्यक्ति से है;
- (फ) "रजिस्टर" से तात्पर्य इस अधिनियम की धारा 4 की उप-धारा 2 के अन्तर्गत रखे गए पत्रिकाओं के रजिस्टर से है;
- (ब) "निर्दिष्ट प्राधिकारी" से तात्पर्य किसी जिले के जिलाधिकारी अथवा समाहर्ता या उपायुक्त, जैसा भी मामला हो, अथवा किसी अन्य कार्यपालक दण्डाधिकारी या जिले के जिलाधिकारी अथवा समाहर्ता या उपायुक्त द्वारा अथवा राज्य सरकार अथवा संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा लिखित में प्राधिकृत कार्यपालक दण्डाधिकारी की शक्तियों का प्रयोग करने वाले अधिकारी से है;

(भ) "शीर्षक" का तात्पर्य पित्रका के नाम से है जैसा कि प्रेस महापंजीयक द्वारा सत्यापित पित्रका के मुख पृष्ठ पर मास्टहेड के रूप में प्रमुखता और स्पष्टता से मुद्रित जिसके द्वारा पित्रका जानी अथवा पहचानी जाएगी।

भाग II मुद्रण प्रेस और प्रकाशन

- 3.(1) मुद्रक द्वारा सूचना प्रस्तुत करना: कोई भी व्यक्ति या कीपर जिसके पास किसी भी तरह के प्रकाशन के मुद्रण के लिए मुद्रण प्रेस है, विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह प्रेस आती है, के समक्ष उस रीति, और विवरण जो निर्धारित किया जाए, का उल्लेख करते हुए सूचना प्रस्तुत करेगा।
- (2) उक्त धारा (1) में उल्लिखित व्यक्ति विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथा अपेक्षित सूचना/सूचना से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करेगा।
- (3) मुद्रक द्वारा वार्षिक विवरण दर्ज करना: कोई भी व्यक्ति या कीपर, जिसके पास समाचारपत्र सिहत किसी पित्रका के मुद्रण हेतु मुद्रण प्रेस है, प्रत्येक वर्ष 30 अप्रैल तक यथा निर्धारित विवरण के साथ और रीति से ऐसी पित्रकाओं के मुद्रण के संबंध में प्रेस महापंजीयक को वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा।
- 4. फिलहाल लागू किसी भी कानून के तहत कोई भी व्यक्ति, जो भारत में निगमित और पंजीकृत निकाय है, या भारत का नागरिक प्रकाशन निकाल सकता है;

परंतु यह है कि ऐसा कोई व्यक्ति जिसे किसी भी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित अपराध का दोषी सिद्ध किया गया है -

- (i) आंतकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त होना;
- (ii) देश की स्रक्षा के विरुद्ध कोई भी कार्य करना;

प्रकाशन नहीं निकालेगा

व्याख्या: इस खंड के प्रयोजन से, ''आंतकवादी कृत्य" या ''गैर-कानूनी गतिविधि" शब्दों का वही अर्थ होगा जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 2 की उपधारा (1) के खंड (ट) और (ण) में दिया गया है।

भाग III प्राधिकारी

- 5(1) प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों की नियुक्ति: केंद्र सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके तहत भारत के प्रेस महापंजीयक और उनके सामान्य अधीक्षण और नियंत्रण के अधीन अन्य अधिकारियों को आबंटित कार्यों के निष्पादन के प्रयोजन से यथा आवश्यकता उनकी नियुक्ति कर सकती है और सामान्य या विशेष आदेश द्वारा इस अधिनियम के तहत उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों के वितरण या आबंटन का प्रावधान कर सकती है।
- (2) विशेष रूप से, और पूर्ववर्ती उपबंधों के सामान्य स्वरूप पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना प्रेस महापंजीयक निम्नलिखित कार्य निष्पादित करेगा, अर्थात-
 - (i) प्रकाशन को पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करना;
 - (ii) पंजीकृत समाचारपत्रों और पत्रिकाओं का रजिस्टर रखना;
 - (iii) पत्रिका के शीर्षक की स्वीकार्यता और उपलब्धता संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करना;
 - (iv) अधिनियम के तहत उसे प्राप्त आवेदनों के संबंध में यथा लागू श्ल्क की उगाही करना;
 - (v) केंद्र सरकार से निधियां प्राप्त करना और अधिनियम के कार्यान्वयन के लिए उसका वितरण करना;
 - (vi) खंड (i) से (v) से उत्पन्न या इससे जुड़ा कोई भी कार्य; और
 - (vii) ऐसा अन्य कोई भी कार्य जो अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप केंद्र सरकार द्वारा उसे सौंपा जाए।
- (3) प्रेस महापंजीयक को अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन के लिए निम्नलिखित शक्तियां होंगी, अर्थात -
 - (i) मुद्रक और पत्रिका से वार्षिक विवरण प्राप्त करना;
 - (ii) समाचारपत्र के वितरण की संख्या का सत्यापन करना;
 - (iii) किसी पत्रिका का पंजीकरण संशोधित करना, निरस्त करना या निलंबित करना;
 - (iv) अधिनियम के तहत किसी भी अन्य कार्य के लिए समाचारपत्र के वितरण की संख्या का सत्यापन करने के लिए किसी अधिकारी और उसके द्वारा यथा विनिर्दिष्ट अन्य किसी व्यक्ति की सेवाएं प्राप्त करना;

- (v) प्रकाशन से रिकॉर्ड, दस्तावेज और ऐसी अन्य सूचना, जो उसके कार्य के निर्वहन के लिए अपेक्षित हो, की मांग करना;
- (vi) प्रकाशक या उसके मुद्रक के अधिकार में किसी पत्रिका से संबंधित कोई भी संगत रिकॉर्ड या दस्तावेज प्राप्त करना, और किसी भी उचित समय पर किसी भी ऐसे परिसर में प्रवेश करना जहां वह यह मानता हो कि ऐसे रिकॉर्ड या दस्तावेज हैं और जहां उस पत्रिका का मुद्रण किया जा रहा हो और इस अधिनियम के तहत प्रस्तुत किए जाने हेतु अपेक्षित कोई भी सूचना प्राप्त करने के लिए संगत रिकॉर्डों या दस्तावेजों का निरीक्षण कर सकता है या उनकी प्रतियां ले सकता है या कोई भी प्रश्न पूछ सकता है;
- (vii) जुर्माना और दण्ड लगाना;

भाग IV पत्रिकाओं का पंजीकरण

- **6. पत्रिकाओं का पंजीकरण** (1) भारत में कोई भी पत्रिका केवल इसके तहत निर्धारित तरीके के अनुसार ही मुद्रित की जाएगी;
- (2) किसी पत्रिका, चाहे वह नि:शुल्क हो या समूल्य हो, का प्रत्येक स्वामी उस रीति से, ऐसे दस्तावेज प्रस्तुत करके, ऐसे विवरण का उल्लेख करके और ऐसे शुल्क का भुगतान करके, जो निर्धारित किया जाए, आवेदन द्वारा प्रेस महापंजीयक से पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा।
- (3) उप-धारा (2) के तहत आवेदन में वह शीर्षक भी होगा जो पत्रिका का स्वामी पत्रिका को देना चाहे, और उस प्रयोजन से स्वामी वरीयता के क्रम में एक या एक से अधिक शीर्षक का सुझाव दे सकता है, परंतु जो भारत में कहीं भी उसी भाषा में या उसी राज्य में अन्य किसी भी भाषा में अन्य किसी भी पत्रिका द्वारा पहले से धारित शीर्षक न हो या उस जैसा न हो, और जो प्रेस महापंजीयक द्वारा इस प्रयोजनार्थ समय-समय पर तैयार मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुरूप हो।
- (4) प्रेस महापंजीयक द्वारा विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके स्थानीय क्षेत्राधिकार में वह प्रकाशक है, को पंजीकरण के आवेदन की एक प्रति अग्रेषित की जाएगी जिसमें उक्त प्रकाशक द्वारा उक्त पत्रिका के पंजीकरण के संबंध में उनकी अनापत्ति या अन्यथा मांगी जाएगी, जिसे विनिर्दिष्ट अधिकारी द्वारा 60 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाएगा।

(5) प्रेस महापंजीयक पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने के लिए पत्रिका के स्वामी से आवेदन प्राप्त होने पर इसकी सत्यता और संपूर्णता और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी, जिसके क्षेत्राधिकार में वह पत्रिका प्रकाशित की जानी है, से प्राप्त टिप्पणियों, यदि कोई हो, को ध्यान में रखने के बाद, और शीर्षकों की स्वीकार्यता संबंधी सिद्धांतों के बारे में स्वयं को संतुष्ट करेगा और अधिमानत: ऐसे आवेदन के 60 दिनों की अविध के भीतर पत्रिका के शीर्षक के साथ प्रमाणपत्र पंजीकरण जारी करेगा।

परंतु यह है कि प्रेस महापंजीयक लिखित में कारण दर्ज करके पंजीकरण प्रमाणपत्र देने से मना कर सकता है।

परंतु यह भी है कि तब तक इस प्रकार प्रमाणपत्र देने से मना नहीं किया जाएगा जब तक कि पत्रिका के स्वामी को सुनवाई का अवसर न दे दिया जाए।

(6) पत्रिका का स्वामी पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर 3 माह के भीतर पत्रिका का प्रकाशन श्र् करेगा।

परंतु यदि पत्रिका का स्वामी उस महीने, जिसमें प्रमाणपत्र दिया गया, के अंत से 12 माह के भीतर पत्रिका का प्रकाशन नहीं करता है, तो प्रेस महापंजीयक प्रमाणपत्र रद्द कर सकता है और उसका शीर्षक वापस ले सकता है।

व्याख्याः इस परंतुक के प्रयोजन से पित्रका प्रकाशित न करने का अर्थ यह होगा कि उस भाग के ¾ से कम पित्रका का प्रकाशन करना जो किए गए आवेदन के अनुसार किया जाना चाहिए था।

- 7. पंजीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन: (1) किसी पत्रिका का प्रकाशक पंजीकरण प्रमाणपत्र के विवरण में संशोधन के लिए उस रीति से और ऐसे विवरण का उल्लेख करते हुए, जो निर्धारित किया जाए, आवेदन कर सकता है।
- (2) प्रेस महापंजीयक प्रकाशक को संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी कर सकता है और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उसकी सूचना दे सकता है।
- 8.(1) पित्रका के स्वामित्व का हस्तांतरण: पित्रका के स्वामित्व का हस्तांतरण तभी किया जाएगा जब इस अधिनियम की धारा 5(5) के तहत पित्रका पंजीकृत हो जाए।

- (2) पत्रिका स्वामित्व में परिवर्तन के बाद पैरा 6 में निर्धारित रीति से संशोधित पंजीकरण प्रमाणपत्र प्राप्त करेगी।
- 9(1) पित्रका का बंद होना: पित्रका का स्वामी पित्रका बंद करने का निर्णय करने पर इसे बंद करने के छह माह के भीतर प्रेस महापंजीयक और "विनिर्दिष्ट प्राधिकारी", जिसके क्षेत्राधिकार में वह पित्रका प्रकाशित की गई थी, को पित्रका बंद होने के बारे में सूचित करेगा।
- (2) प्रेस महापंजीयक प्रकाशक से ऐसी सूचना प्राप्त होने पर बंद की गई पत्रिका का पंजीकरण रद्द करेगा और पत्रिका के शीर्षक सिहत उसे इस अधिनियम की धारा 4(2) के तहत रखे गए रजिस्टर से हटा देगा।
- 10. पित्रका को पुन: शुरू करना: जहां कहीं पित्रका का प्रकाशन 3 माह से अधिक परंतु 12 माह से कम की अविध के लिए रूक गया है या बंद हो गया है, तो प्रकाशक पित्रका को पुन: शुरू करने के लिए प्रेस महापंजीयक को उस रीति से और उन दस्तावेजों, जो निर्धारित किए जाएं, के साथ आवेदन करेगा।
- 11.(1) पंजीकरण रद्द करना या निलंबित करना: प्रेस महापंजीयक, सरकार या इसके संगठन से प्राप्त सूचना, या इसे भारतीय प्रेस परिषद या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश प्राप्त होने के आधार पर पंजीकरण प्रमाणपत्र निलंबित या रद्द कर सकता है, यदि वह संतुष्ट हो कि :
- (क) पत्रिका का प्रकाशन इस अधिनियम के उपबंधों या इसके तहत बनाए गए नियमों के उल्लंघन में किया जा रहा है।
- (ख) पंजीकरण मिथ्या अभ्यावेदन पर या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छुपा कर प्राप्त किया गया है।
- (ग) पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित पत्रिका का शीर्षक ऐसा है जो उसी भाषा या उसी राज्य में प्रकाशित किसी भी अन्य पत्रिका से मेल खाता है या उस जैसा है।
- (घ) पत्रिका का प्रकाशन पत्रिका के प्रकाशित अंतिम संस्करण की तारीख से 12 माह से अधिक की अविध से बंद है।
- (ङ) किसी भी अवधि की पत्रिका ने उसके ¾ से कम संस्करण प्रकाशित किए हैं, जो उसके आवेदन के अन्सार प्रकाशित किए जाने चाहिए थे।
- (च) प्रकाशक ने पंजीकरण हेतु अपने आवेदन या वार्षिक विवरण में कोई भी गलत या मिथ्या विवरण दिया है।
- (छ) प्रकाशक ने वित्त वर्ष के अंत तक 12 माह के भीतर वार्षिक विवरण प्रस्तुत नहीं किया है।

- (ज) प्रकाशक को किसी अपराध के लिए किसी भी न्यायालय द्वारा निम्नलिखित का दोषी ठहराया गया है -
 - (i) आतंकवादी कृत्य या गैर-कानूनी गतिविधि में संलिप्त होना।
 - (ii) देश की सुरक्षा के विरुद्ध कोई भी काम करना।

परंतु यह है कि तब तक पंजीकरण प्रमाणपत्र रद्द करने या निलंबित करने का कोई आदेश पारित नहीं किया जाएगा जब तक कि प्रकाशक को अवसर प्रदान न कर दिया गया हो।

- (2) इस धारा के तहत रद् किए गए आदेश की प्रति को उपयुक्त सरकार और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी को उनके रिकार्ड के लिए उपलब्ध कराया जाएगा।
- 12. प्रकाशक या स्वामी द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला वार्षिक विवरण: (1) पत्रिका का प्रकाशक, पत्रिका के संबंध में निर्धारित समय में और यथा निर्धारित विवरणों को शामिल करते हुए प्रेस महापंजीयक को एक वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेगा;
- (2) यदि प्रकाशक धारा 12(1) के उपबंध का अनुपालन नहीं करता है, तो, उस पर जुर्माना लगाया जाएगा, जोकि बकाया वर्षों के लिए वार्षिक विवरण की अनिवार्य प्रस्तुति सहित दस हजार रु. तक हो सकता है और उसका पंजीकरण निलंबित/निरस्त भी किया जा सकता है।
- (3) यदि प्रकाशक या प्रकाशक की अनुपस्थिति में स्वामी धारा 11 (1) के उपबंध के तहत प्रस्तुत वार्षिक विवरण में कोई भी असत्य विवरण या ब्यौरा प्रस्तुत करता है, तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा जोकि 50 हजार रुपये तक हो सकता है।

बशर्ते कि प्रकाशक को सुनवाई का अवसर प्रदान किए बगैर शास्ति लगाने के लिए कोई आदेश पारित नहीं किया जाए।

13. वार्षिक रिपोर्टः प्रेस महापंजीयक भारत में पत्रिकाओं के संबंध में सूचना का एक वार्षिक विवरण उस रूप में और समय पर, जैसा कि निर्धारित किया गया है, तैयार और प्रकाशित करेगा।

भाग V

शास्तियां

- 14. अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप न होने पर पत्रिका के मुद्रण या प्रकाशन के लिए शास्तिः कोई भी व्यक्ति जो इस अधिनियम की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों के अनुरूप किसी भी पित्रका का स्वामी है, उसका मुद्रण, प्रकाशन या संपादन करता है, या ये जानते हुए कि इस अधिनियम की धारा 5, धारा 6 और धारा 7 के उपबंधों तथा इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों का पालन नही किया गया है और किसी पित्रका का स्वामित्व सृजित करता है, उसका मुद्रण, प्रकाशन या संपादन करवाता है, जुर्माने के साथ दंडनीय होगा जो कि 50 हजार रु. तक हो सकता है, और उस पित्रका का पंजीकरण भी रद्द किया जा सकता है।
- 15. मुद्रणालय से संबंधित उपबंधों का पालन न करने के लिए शास्तिः (1) मुद्रणालय शुरु करने हेतु, सूचना दिए बिना या सूचना में असत्य विवरण प्रस्तुत करके या विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा मांगी गई सूचना प्रस्तुत किए बिना धारा 3 के उपबंधों का अनुपालन नहीं करने से जुर्माना लगाया जाएगा और दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी जो संबंधित विनिर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा उचित मानी जाए।
- (2) मुद्रण या कीपर द्वारा वार्षिक विवरण न करने के लिए धारा 3(3) के उपबंधों का पालन न होने पर 50 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा और विनिर्दिष्ट प्राधिकारी की सिफारिश के अन्सार उचित दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

भाग VI

अपील

- (16)(1) एक प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड के नाम से एक अपील बोर्ड होगा जिसमें अध्यक्ष, भारतीय प्रेस परिषद और भारतीय प्रेस परिषद द्वारा इसके सदस्यों में से जिसमें नामित एक सदस्य होगा।
- (2) यदि कोई व्यक्ति, जो धारा 6 की उप-धारा (5) के तहत पंजीकरण करने से मना करने पर धारा 11 के तहत पंजीकरण के निंलबन अथवा निरस्तीकरण, प्रेस महापंजीयक के आदेशों

से असंतुष्ट है या धारा 14 के तहत दण्ड लगाने और पंजीकरण के निलंबन/निरस्तीकरण के आदेश के संबंध में उसे सूचित ऐसे आदेशों के जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर अपील बोर्ड को अपील दायर कर सकता है।

परंतु अपील बोर्ड उक्त अविध की समाप्ति के पश्चात अपील स्वीकार कर सकता है यदि वह संतुष्ट हो कि अपीलकर्ता द्वारा समय पर अपील दायर न किए जाने का पर्याप्त कारण था।

- (3) इस धारा के अन्तर्गत अपील प्राप्त होने पर, अपील बोर्ड, रिकार्ड और आगे जांच के पश्चात जैसा वह उपयुक्त समझे, आदेश की पुष्टि कर सकता है, उसमें संशोधन कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है जिसके विरुद्ध अपील की गई है।
- (4) अपील बोर्ड का निर्णय अंतिम होगा।

भाग VII

सरकारी विज्ञापन और प्रत्यायन

- 17(1) समुचित सरकार शर्तें निर्धारित कर सकती है जिसके तहत यह पत्रिका को विज्ञापन जारी कर सकती है, स्वामियों/कर्मचारियों को कोई अन्य लाभ उपलब्ध कर सकती है, प्रत्यायन प्रदान कर सकती है, या इसके
- (2) उप-धारा (1) में उल्लिखित शर्त में प्रकाशन के शुरुआत के समय इसके वितरण, अधिनियम के विभिन्न उपबंधों का अनुपालन और इस तरह के अन्य मानंदड़ों, जो यह निर्दिष्ट करें, को शामिल कर सकती है।

भाग-VIII

डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशकों का पंजीकरण

18. डिजिटल मीडिया पर समाचारों के प्रकाशक, उसी रीति से और ऐसा विवरण देकर, जो निर्धारित किया जाए, भारत के समाचारपत्रों के पंजीयक के साथ पंजीकरण कराएगें।

भाग-IX

विविध

- 19. केन्द्र सरकार की शक्तियां: (1). अधिनियम के तहत अपने कार्यों के निर्वहन में, प्रेस महांपजीयक नीति के मुद्दे पर ऐसे निदेशों द्वारा बाध्य होगें जो केन्द्र सरकार समय-समय पर लिखित में दे।
- (2) केन्द्र सरकार का यह निर्णय अंतिम होगा कि कोई प्रश्न नीति का है या नहीं।
- 20. प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों का लोक सेवक होना: अधिनियम के तहत नियुक्त किए गए प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारियों को भारतीय दंड सहिता (1860 का 45) की धारा 21 के अर्थ के भीतर लोक सेवक, माना जाएगा।
- 21. सदाशय से की गई कार्रवाई का संरक्षण: केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के प्रेस महापंजीयक या प्रेस महापंजीयक द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी या कर्मचारी के विरूद्ध ऐसी किसी बात के लिए कोई मुकदमा नहीं चलाया जाएगा या कानूनी कार्यवाही नहीं की जाएगी जो इस अधिनियम अथवा इसके तहत बनाए गए नियमों के अनुसरण में सदाशयता से की गई हों या किए जाने का इरादा हो।
- 22. (1) केन्द्र सरकार की नियम बनाने की शक्तिः केन्द्र सरकार शासकीय राजपत्र में अधिसूचना द्वारा इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकती है।
- (2) विशेष रूप में पूर्ववर्ती प्रावधानों की व्यापकता पर पूर्वाग्रह के बिना ऐसे नियमों में निम्नलिखित मामलों में सभी के लिए अथवा किसी एक के लिए प्रावधान है नामत:
- (क) धारा 6 के तहत आवेदन करने का फार्म, श्ल्क और तरीका;
- (ख) धारा 6 के तहत पत्रिकाओं के पंजीकरण के मान्य विवरण;
- (ग) धारा 6 (5) के तहत फार्म जिसमें पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।
- (घ) धारा 5(2) के तहत पत्रिकाओं का रजिस्टर रखने का तरीका।

- (ङ) विवरणों का निर्धारण करना जिसमें पत्रिकाओं के प्रकाशकों द्वारा प्रेस पंजीयक को प्रस्तृत किया जाने वाला वार्षिक विवरण हो सकता है।
- (च) फार्म और तरीके का निर्धारण करना जिसमें धारा 12 के तहत वार्षिक विवरण या अधिनियम के तहत कोई भी विवरणी. आंकडे या अन्य जानकारी जो प्रेस पंजीयक को प्रस्तुत की जानी हो।
- (छ) वह तरीका जिसमें धारा 5(3) के तहत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा समाचारपत्रों के वितरण का सत्यापन किया जा सके।
- (ज) कोई अन्य मामला जो किया जाना अपेक्षित हो या निर्धारित किए जाए।
- (3) अधिनियम के तहत बनाया गया प्रत्येक नियम इसके बनने के शीघ्र बाद संसद का सत्र चलने के दौरान प्रत्येक सदन में रखा जाएगा।
- 23. (1) कठिनाइयों को दूर करने की शक्तिः यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है, तो केन्द्र सरकार, शासकीय राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, ऐसे उपबंध, जो यह कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक या समीचीन समझे और जो इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध न हों, कर सकती है। परंतु इस धारा के तहत इस अधिनियम के शुरू होने से तीन वर्षों की समाप्ति के पश्चात ऐसा कोई आदेश नहीं दिया जाएगा।
- (2) इस धारा के तहत दिए गए प्रत्येक आदेश को इसके बनने के यथा समय बाद शीघ्र प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तृत किया जाएगा।
- **24. (1) निरसन और व्यावृत्ति:** प्रेस और पुस्तकों का पंजीकरण अधिनियम, 1867 एतद द्वारा निरस्त किया जाता है। (1867 का 25)
- (2) ऐसे निरसन के होते ह्ए भी -
- (क) कुछ भी किया गया अथवा कोई कार्रवाई की गयी या कथित रूप से किया गया अथवा लिया गया जिसमें अधिनियम के अन्तर्गत कोई नियम, अधिसूचना, निरीक्षण, आदेश की गई घोषणा या कोई निष्पादित दस्तावेज या उपकरण अथवा दिया गया कोई निदेश या की गयी कोई कार्रवाई अथवा लगाया गया दण्ड अथवा जुर्माना शामिल है एतदद्वारा निरस्त किया

गया है जो जहां तक कि इस अधिनियम के प्रावधानों के साथ असंगत नही है को इस अधिनियम के समन्रूप प्रावधानों के अन्तर्गत किया गया अथवा लिया गया माना जाएगा;

- (ख) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के उपबंधों के अन्तर्गत की गई और अधिप्रमाणित जिसमें किसी तरह की घोषणा, उसका शीर्षक शामिल है, को इस अधिनियम के सदृश उपबंधों के अन्तर्गत किया गया और अधिप्रमाणित माना जाएगा;
- (ग) इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर किसी भी न्यायालय में लंबित कोई भी कार्यवाही उस न्यायलय में जारी रह सकती है यदि इस अधिनियम को पारित नहीं किया गया है;
- (घ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत नियुक्त प्रेस महापंजीयक और अन्य अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने से तुंरत पहले इसे धारित करने वाला अधिकारी इस अधिनियम के प्रारंभ होने पर, तब तक इस अधिनियम के सदश उपबंधों के अन्तर्गत अपने अपने पद पर बने रहेंगे, जब तक कि उन्हें हटाया नहीं जाता अथवा वे सेवानिवृत्त नहीं हो जाते;
- (ङ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत गठित प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड, तब तक इस अधिनियम के सदृश उपबंधों के अन्तर्गत कार्य करता रहेगा जबतक कि इस अधिनियम के अन्तर्गत अपील प्राधिकरण का गठन नहीं किया जाता;
- (च) एतदद्वारा निरस्त प्रेस और पंजीकरण अपील बोर्ड को प्रस्तुत इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले और निपटाई नहीं गई किसी भी अपील का निपटान इस अधिनियम के अन्तर्गत गठित अपील प्राधिकारी द्वारा जा सकता है;
- (छ) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत देय किसी भी जुर्माना को अधिनियम द्वारा उपबंधित अथवा इसके अन्तर्गत तरीके से वसूली जा सकती है, परन्तु इससे इस प्रकार निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत ऐसे जुर्माने की वसूली के लिए पहले से की गयी कार्रवाई पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा;
- (ज) एतदद्वारा निरस्त अधिनियम के अन्तर्गत जारी किए गए अथवा प्रदान किए गए पंजीकरण प्रमाणपत्र का उन्हीं शर्तों के अध्यधीन इस अधिनियम के प्रारंभ होने के बाद भी प्रभाव जारी रहेगा चाहे वह अधिनियम पारित नहीं किया गया हो;
- (3) उप-धारा (2) में विशेष मामलों के उल्लेख को निरस्ती के प्रभाव के संबंध में सामान्य खण्ड अधिनियम, 1897 की धारा 6 के सामान्य प्रयोग का प्रतिकूल प्रभाव अथवा प्रभाव डालने वाला नहीं माना जाएगा। (1897 का 10)

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING SHASTRI BHAVAN, NEW DELHI

• • • •

New Delhi, the 25th November, 2019

PUBLIC NOTICE ON WEBSITE OF MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

SOLICITING SUGGESTIONS/ COMMENTS/ INPUTS FROM THE STAKEHOLDERS ON THE DRAFT "REGISTRATION OF PRESS AND PERIODICALS BILL, 2019"

The regulation of printing presses and newspapers printed in India and their registration is governed by the 'Press and Registration of Books (PRB)Act, 1867', as amended from time to time.

- 2. Ministry of Information and Broadcasting has prepared a draft Bill titled "Registration of Press and Periodicals (RPP)" Bill, 2019" to replace the existing PRB Act,1867. A copy of the draft Bill is attached herewith.
- 3. The salient features of the draft Bill are Annexed.
- 4. As a part of pre-legislative consultative process, the suggestions/ comments/ inputs from the stakeholders are solicited, preferably as per following format within a month from the date of issue of the notice on e-mail id: jspna-moib@nic.in.

Section/ Sub-Section/	Suggestion/ Comment/ Input
Clause / Proviso of the Bill	

Joint Secretary (P&A)

Ministry of Information and Broadcasting

Room No. 552, A-Wing, Shastri Bhavan, New Delhi-110001

Email: jspna-moib@nic.in.

Salient features of the draft "Registration of Press and Periodicals Bill, 2019"

- (i) The Bill proposes to remove the existing provisions relating to registration of Books and matters connected thereto.
- (ii) The Bill proposes to do away with the existing procedure of furnishing of declaration by publishers/ printers before the District Magistrate and its subsequent authentication.
- (iii) The process of title and registration of periodicals including newspapers is proposed to be effected centrally by the Press Registrar General as a simultaneous process.
- (iv) The Bill enables the Central Government and the State Government to frame appropriate rules/ regulations to regulate the criteria/ conditions for issuing Government advertisements in newspapers, accreditation of newspapers and such other facilities for newspapers.
- (v) The Bill proposes to have a simple system of registration of e-papers.
- (vi) The Bill proposes to do away with the earlier provision under the PRB Act, 1867 of prosecution of publishers.

i

DRAFT REGISTRATION OF PRESS AND PERIODICALS BILL, 2019

Contents	age No.
PART 1	1-3
PRELIMINARY	4
Short title, extent and commencement	1
Definitions.	2-3
PART II -	4
PRINTING PRESSES AND PUBLICATIONS	4
Printer to furnish intimation	4
Printer to file an Annual Statement	4
PART III	4-5
AUTHORITIES	4
Appointment of Press Registrar General and other officers	4-5
PART IV	Page 6-9
REGISTRATION OF PERIODICALS	•
Registration of Periodicals	6
Revision of Certificate of Registration.	7
Transfer of Ownership of a periodical	7
Ceasing of a Periodical	7
Restarting of a Periodical	7
Cancellation /Suspension of Registration.	8
Annual statement, etc., to be furnished by publisher.	9
Annual Report	9
PART V	9
PENALTIES	9
Penalty for printing or publishing perioidcal without conforming to provisions of A	.ct9
Penalty for non-compliance regarding printing press	9

PART VI	10
Appeal	10
PART VII	11
GOVERNMENT ADVERTISEMENT AND ACCREDITATION	
PART VIII	11
REGISTRATION OF PUBLISHERS OF NEWS ON DIGITAL MEDIA	11
PART IX	10-14
MISCELLANEOUS	11
Power of Central Government	11
Press Registrar General and other officers to be public servants	11
Protection of action taken in good faith	11
Power of Central Government to make rules	12
Power to remove difficulties	12
Repeal and saving.	13-14

REGISTRATION OF PRESS

AND PERIODICALS BILL, 2019

A

BILL

An Act for the registration and regulation of printing presses and periodicals, and matters connected thereto

Be it enacted by Parliament in the Seventieth Year of the Republic of India as follows:-

PART I

PRELIMINARY

- 1. (1) This Act may be called the Registration of Press and Periodicals Act, 2019.
- (2) It extends to the whole of India:
- (3) It shall come into force on such date as the Central Government may, by notification in the Official Gazette, appoint.
- 2. In this Act, unless the context otherwise requires,—

- (a) "appropriate Government" means the Central Government or the State Government or the Government of the Union Territories having their own legislatures.
- (b) "authorised person" means a Gazetted officer subordinate to the Press Registrar General and authorized by the Press Registrar General in writing to function as his representative for discharging various functions from time to time as the case may be;
- (c) "editor" of a periodical means an individual, whether called editor, chief editor, group editor or editor-in-chief or by any other name called, being a citizen of India and is ordinarily resident in India responsible for the selection and finalization of the content of a periodical;
- (d) "facsimile edition" of a publication means an exact replica in full or in part of the original edition of a foreign publication in so far as the content is concerned, subject to the condition that any page is not published in part;
- (e) "financial year" means the year beginning on the 1st April and ending on the 31st March next following;
- (f) "foreign periodical" means any periodical published and printed in a country outside India:
- (g) "journal" means a periodical publication, other than a magazine, which carries content related to a particular subject or professional activity;
- (h) "keeper" means the authorized person to manage the day-to day operations of a printing press in case the owner of the press is a non-individual entity;
- (i) "magazine" means a periodical publication, other than a journal, containing comments or write-ups on general subjects, including public news or comments on public news;
- (j) "new edition" means another version of the existing newspaper with a change in the content or language or periodicity;
- (k) "news on digital media" is the news in digitized format that can be transmitted over the internet, computer or mobile networks and includes text, audio, video and graphics;
- (l) "newspaper" means a periodical of loosely-folded sheets usually printed on newsprint and brought out daily or at least once in a week, containing information on current events, public news or comments on public news;
- (m) "Owner" of a publication means an individual, firm or any such legal entity owning a publication.
- (n) "periodical" means any publication including newspaper, which is published and printed at regular intervals and contain write-ups on general or specialized subjects;

- (o) "prescribed" means prescribed by rules made under this Act;
- (p) "Printer" means the owner of the printing press
- (q) "Press Registrar General" means the Press Registrar General of India, appointed by the Central Government under Section 4 of this Act;
- (r) "printing" means reproduction of a periodical through any technology involving mass production of copies but does not include photocopying;
- (s) "publication" means anything which is printed on paper and is meant for public distribution including periodicals, newspapers & books.
- (t) "publish" means the process of making a work available to the public in the form of issuing copies;
- (u) "publisher" means a person authorized in this regard to publish any publication;
- (v) "register" means the register of periodicals maintained under Sub-Section 2 of Section 4 of this Act;
- (w) "specified authority" means a District Magistrate or Collector or Deputy Commissioner of a district, as the case may be, or any other executive magistrate or an officer exercising the powers of an Executive Magistrate authorised in writing by the District Magistrate or Collector or Deputy Commissioner of a District or by the State Government or Union territory Administration;
- (x) "title" means name of the periodical as verified by the Press Registrar General, printed prominently and legibly as the masthead on the front page of the periodical by which the periodical will be known or identified.

PART II

PRINTING PRESSES AND PUBLICATIONS

- **3.** (1) **Printer to furnish an intimation: -** Any person or the keeper possessing a printing press for printing of any kind of publication shall furnish an intimation before the Specified Authority within whose local jurisdiction such press may be, in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed.
- (2) The person referred to in sub-section (1) shall submit any information/document relating to the intimation as may be required by the specified authority.
- (3) **Printer to file an Annual Statement:** Any person or the keeper possessing a printing

press for printing of any periodical including newspaper, shall submit to the Press Registrar General an Annual Statement by the 30th April of every year regarding printing of such periodicals, containing such particulars and in such manner as may be prescribed.

4. A person, being an entity incorporated and registered in India under any law for the time being in force, or a citizen of India, may bring out a publication;

Provided that no person who has been convicted by any court for an offence-

- (i) Involving terrorist act or unlawful activity;
- (ii) For having done anything against the security of the State, shall bring out a publication.

Explanation: For the purpose of this Section, the expression "terrorist act" or "unlawful activity" shall have the meanings respectively assigned to them in clauses (k) and (o) of sub-section (1) of Section 2 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967.

PART III

AUTHORITIES

- **5** (1) **Appointment of Press Registrar General and other officers:** The Central Government may appoint Press Registrar General of India and such other officers under the general superintendence and control of the Press Registrar General as may be necessary for the purpose of performing the functions assigned to them by or under this Act and may, by general or special order, provide for the distribution or allocation of functions to be performed by them under this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, the Press Registrar General shall perform the following functions, namely –
- (i) Issue a Certificate of Registration to a Publication;
- (ii) Maintain a register of registered newspapers and periodicals;
- (iii) Frame guidelines for admissibility and availability of title of a periodical;;
- (iv) Levy fees, as applicable, with regard to applications received by it under the Act;
- (v) Receive funds from the Central Government and disburse the same for implementation of the Act;
- (vi) Any function incidental to or connected with clauses (i) to (v); and

- (vii) Any other function as may be assigned to it by the Central Government consistent with the provisions of the Act.
- (3) The Press Registrar General in exercise of his functions under the Act shall have the following powers, namely –
- (i) To obtain Annual Statements from a printer and a periodical;
- (ii) To verify the circulation figure of a newspaper;
- (iii) To revise, revoke or suspend registration of a periodical
- (iv) to requisition the services of an officer and such other person as may be specified by him for undertaking verification of circulation figure of a newspaperor for any other function under the Act:
- (v) to call for records, documents and such other information from a publication as may be required in discharge of his function.
- (vi) to have access to any relevant record or document relating to a periodical in the possession of the publisher or printer thereof, and may enter at any reasonable time any premise where he believes such record or document to be and where the periodical is being printed and may inspect or take copies of the relevant records or documents or ask any question necessary for obtaining any information required to be furnished under this Act.
- (vii) to impose fine and penalty.

PART IV

REGISTRATION OF PERIODICALS

- $\bf 6$. **Registration of periodicals** (1) A periodical shall be printed or published in India only in accordance with the manner laid down hereunder;
- (2) Every owner of a periodical, whether free or paid, shall obtain a certificate of registration from the Press Registrar General by making an application in such manner, by furnishing such documents, setting forth such particulars and payment of such fee as may be prescribed;
- (3); The application under sub section (2) shall also contain the title which the owner of

periodical intends to assign to the periodical, and for that purpose the owner may suggest one or more names for the title, in an order of preference, which is not the same or similar to a title already held by any other periodical either in the same language anywhere in India or in any other language in the same State, and which conforms to the guidelines framed for this purpose by the Press Registrar General from time to time;

- (4) A copy of the application for registration shall be forwarded by the Press Registrar General to the specified authority, within whose local jurisdiction the publisher is, calling for his no-objection or otherwise for registration of the said periodical by the said publisher, to be provided by the specified authority within 60 days.
- (5) The Press Registrar General shall, upon receipt of application from the owner of the periodical for issuance of certificate of registration, satisfy himself regarding its correctness and completeness and after taking into account the comments, if any, received from the specified authority under whose jurisdiction the periodical is to be published and the guidelines relating to admissibility of titles and issue a Certificate of Registration along with the title of the periodical, preferably within a period of 60 days of such application;

Provided that the Press Registrar General may, for reasons to be recorded in writing, refuse to grant Certificate of Registration.

Provided further that no such refusal shall be made unless an opportunity of being heard has been provided to the owner of the periodical.

(6) The owner of the periodical shall, on receipt of the certificate of registration, commence publication of the periodical within three months of such receipt.

Provided that if the owner of the periodical fails to publish the periodical within 12 months from the end of the month in which the certificate of registration was granted, the Press Registrar General may cancel the certificate and withdraw the title.

<u>Explanation</u>: For the purpose of this proviso failure to publish a periodical will mean publishing of a periodical less than three fourth of what should have been published as per the application made.

- **7. Revision of Certificate of Registration:** (1) A publisher of a periodical may apply for revision of particulars of the Certificate of Registration in such manner and setting forth such particulars as may be prescribed.
- (2) The Press Registrar General may issue a revised Certificate of Registration to the publisher, and intimate the same to the specified authority.
- **8.** (1) **Transfer of Ownership of a periodical:** Transfer of Ownership of a periodical shall be done only after the periodical is registered under Section 5(5) of this Act.
- (2) The periodical shall obtain a Revised Certificate of Registration after change of ownership in a manner laid down in Section 6.
- **9** (1) **Ceasing of Periodical:** The owner, of a periodical, on deciding to cease the periodical, shall within six months of such ceasing, intimate the Press Registrar General and the "specified authority" within whose local jurisdiction such periodical was published about such ceasing of periodical.
- (2) The Press Registrar General, on receipt of such intimation from the publisher shall cancel the registration of the ceased periodical and remove the periodical along with its title from the register maintained under Section 4(2) of this Act.
- 10 Restarting of a Periodical: Where any periodical has stopped or discontinued the publication of periodical for a period exceeding three months but not exceeding twelve months the publisher shall make an application to the Press Registrar General for restarting the periodical in such manner and alongwith such documents as prescribed.
- **11** (1) **Cancellation or suspension of Registration:** The Press Registrar General may, on the basis of information received from the Government or its organization, or on the recommendations of the Press Council of India or the specified authority, or obtained by it, may suspend or cancel the Certificate of Registration if he is satisfied that:
- (a) the periodical is being published in contravention of the provisions of this Act or rules made there under;
- (b) the registration was obtained on false representation or on the concealment of any material fact;
- (c) the periodical mentioned in the Certificate of Registration bears a title, which is the same

or similar to that of any other periodical, published either in the same language or in the same state:

- (d) the periodical has stopped publishing for a period exceeding twelve months from the date of last published issue;
- (e) The periodical of any periodicity has published issues less than three-fourth of what should have been published in accordance with the application made in respect thereof.
- (f) the Publisher has given any wrong or false particulars in his Application for Registration or Annual Statement;
- (g) The publisher has failed to furnish the annual statement within twelve months of the end of a financial year.
- (h) The publisher has been convicted by any court for an offence-
 - (i) Involving terrorist act or unlawful activity;
 - (ii) For having done anything against the security of the State,

Provided that no order for cancellation or suspension of Certificate of Registration may be passed unless an opportunity has been granted to the publisher.

- (2) A copy of order of cancellation passed under this Section shall be made available to the appropriate Government and the Specified Authority for their records;
- **12**. **Annual statement to be furnished by publisher or owner:** (1) The publisher of a periodical shall furnish to the Press Registrar General an annual statement in respect of the periodical, at such time and containing such particulars as may be prescribed;
- (2) If the publisher fails to comply with provision of Section 12 (1), he shall be charged with fine which may extend to ten thousand rupees, along with mandatory submission of annual statement for the defaulted year/s and is also liable for suspension/cancellation of registration.
- (3) If the publisher or owner in the absence of the publisher furnishes any false particulars or details in the annual statement submitted under provision of Section 11 (1), he shall be punishable with fine which may extend to fifty thousand rupees,

Provided that no order for imposition of penalty shall be passed without providing an

opportunity of being heard to the publisher.

13. **Annual Report:** The Press Registrar General shall prepare and publish an annual report containing information in respect of the periodicals in India in such form and at such time as may be prescribed.

PART V

PENALTIES

- **14. Penalty for printing or publishing periodical without conforming to provisions of Act:** Whoever owns, prints, publishes or edits any periodical without conforming to the provisions of Section 5, Section 6 and Section 7 of this Act and rules made thereunder, or causes to be owned, printed, published or edited any periodical knowing that the provisions of Section 5, Section 6 and Section 7 of this Act or the rules made there under have not been complied with, shall be punishable with a fine which may extend to fifty thousand rupees, and the periodical may also be liable for cancellation of Registration.
- 15. Penalty for non-compliance of provisions regarding Printing Press: (1) Non compliance in terms of provisions of Section 3 for starting a printing press without furnishing an intimation or by furnishing false particulars in the intimation or for not furnishing information called for by the specified authority shall invite such fine and penal action as may be considered appropriate by the specified authority concerned.
- (b) Non compliance in terms of provisions of Section 3(3) for not filing annual statement by the printer or the keeper shall attract a fine upto fifty thousand rupees and recommendation to the specified authority for taking appropriate penal action.

PART VI

APPEAL

- **16** (1) There shall be an Appellate Board to be called the Press and Registration Appellate Board consisting of Chairman, Press Council of India and one member to be nominated by the Press Council of India, from among its members.
- (2) Any person aggrieved by an order of the Press Registrar General with regard to refusal of registration under sub-section (5) of Section 6, or cancellation or suspension of registration

under Section11, or imposition of penalty and orders of suspension/cancellation of registration under Section14, may, within sixty days from the date on which such order is communicated to him, prefer an appeal to the Appellate Board.

Provided that the Appellate Board may entertain an appeal after the expiry of the said period, if it is satisfied that the appellant was prevented by sufficient cause from preferring the appeal on time.

- (3) On receipt of an appeal under this section, the Appellate Board may, after calling for the records and after making such further inquiries as it deems fit, confirm, modify or set aside the order appealed against.
- (4) The decision of the Appellate Board shall be final.

Part VII

GOVERNMENT ADVERTISEMENT AND ACCREDITATION

- **17.** (1) The appropriate Government may prescribe the condition under which it may issue advertisements, grant accreditation, and provide any other benefit to the periodical or its owners/employees;
- (2) The condition referred to in sub-section (1) may take into consideration the age of the publication, its circulations, compliance to various provisions of this Act, and such other criteria as it may specify.

Part VIII

REGISTRATION OF PUBLISHERS OF NEWS ON DIGITAL MEDIA

18. The publishers of news on Digital Media shall register themselves with the Registrar of Newspapers of India in such manner and giving such particulars as may be prescribed.

PART IX

MISCELLANEOUS

19. Powers of the Central Government (1) In discharge of its functions under the Act, the

Press Registrar General shall be bound by such directions on question of policy as the Central Government may give in writing from time to time.

- (2) The decision of the Central Government as to whether a question is one of policy or not shall be final.
- **20**. **Press Registrar General and other officers to be public servants:** The Press Registrar General and all officers appointed under this Act shall be deemed to be public servants within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code (45 of 1860).
- 21. Protection of action taken in good faith: No suit or other legal proceedings shall lie against the Central Government or a State Government or the Press Registrar General or any officer or employee authorized by the Press Registrar General, for anything which is in good faith done or intended to be done in pursuance of this Act or the rules made there under.
- **22**. (1) **Power of Central Government to make rules**: The Central Government, may, by notification in the Official Gazette, make rules to carry out the provisions of this Act.
- (2) In particular, and without prejudice to the generality of the foregoing provisions, such rules may provide for all or any of the following matters, namely:-
 - (a) the form, fees and manner of making an application under Section 6;
 - (b) the other particulars of registration of periodicals under Section 6;
 - (c) the form in which a Certificate of Registration will be issued under Section 6 (5)
 - (d) the manner in which the register of periodicals shall be maintained under section 5(2)
 - (e) Prescribing the particulars which an annual statement to be furnished by the publisher of a periodical to the Press Registrar, may contain;
 - (f) Prescribing the form and manner in which an annual statement under section 12, or any returns, statistics or other information under this Act, may be furnished to the Press Registrar;
 - (g) the manner in which circulation verification of newspapers may be conducted by an authorised person under Section 5(3)
 - (h) any other matter which is required to be, or may be, prescribed;
- (3) Every rule made under this Act shall be laid as soon as may be after it is made before each House of Parliament while it is in session.
- 23 (1) Power to remove difficulties: If any difficulty arises in giving effect to the provisions

of this Act, the Central Government may, by order published in the Official Gazette, make such provisions not inconsistent with the provisions of this Act, as appear to it to be necessary or expedient for removing the difficulty.

Provided that no such order shall be made under this section after the expiry of three years from the commencement of this Act.

- (2) Every order made under this section shall be laid, as soon as may be after it is made, before each House of Parliament.
- **24** (1) **Repeal and saving:** The Press and Registration of Books Act, 1867 is hereby repealed. (25 of 1867.)
 - (2) Notwithstanding such repeal,-
 - (a) anything done or any action taken or purported to have been done or taken including any rule, notification, inspection, order or declaration made or any document or instrument executed or any direction given or any proceedings taken or any penalty or fine imposed under the Act hereby repealed shall, in so far as it is not inconsistent with the provisions of this Act, be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of this Act;
 - (b) any declaration, including title thereof, so made and authenticated under the provisions of the Act hereby repealed, shall be deemed to have been made and authenticated under the corresponding provisions of this Act;
 - (c) any proceeding pending in any court at the commencement of this Act may be continued in that court as if this Act has not been passed;
 - (d) the Press Registrar General and other officers appointed under Section 4(1) of the Act hereby repealed and holding office as such immediately before the commencement of this Act, shall, on the commencement of this Act, continue to hold their respective offices under the corresponding provisions of this Act, unless and until they are removed or superannuated;
 - (e) the Press and Registration Appellate Board established under the Act hereby repealed shall, continue to function under the corresponding provisions of this Act, unless and until the Appellate Authority is constituted under this Act;
 - (f) any appeal preferred to the Press and Registration Appellate Board hereby repealed and not disposed of before the commencement of this Act may be disposed of by the

Appellate Authority constituted under this Act;

- (g) any penalty payable under the Act hereby repealed may be recovered in the manner provided by or under this Act, but without prejudice to any action already taken for the recovery of such penalty under the Act so repealed;
- (h) any certificate of registration issued or granted under the Act hereby repealed shall continue to have effect after the commencement of this Act under the same conditions as if this Act had not been passed.
- (3) The mention of the particular matters in sub-section (2) shall not be held to prejudice or affect the general application of section 6 of the General Clauses Act, 1897 with regard to the effect of repeal. (10 of 1897).
